सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 253/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-15.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 15.07.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

01. थाना- बरदहः- मार पीटकर आँख खराब कर देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहासः-

दिनांक 18.04.25 को वादी रामअवध सरोज पुत्र स्व0 दासू नि0 ग्राम पो0 जैतीपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि दिनांक 16.04.2025 समय करीब 10 बजे रात्रि को प्रमोद सरोज पुत्र लल्लन व दिलीप पुत्र धर्मू नि0ग्राम सिसरेडी उपरोक्त ने प्रार्थी के घर के बगल प्राकृतिक रुप से उगा गांजे के पेंड को रगड कर एंव तोड कर पी रहे थे प्रार्थी मना किया तो उक्त लोग प्रार्थी को माँ बहन की भद्दी गाली देते, मारने-पीटने लगे, प्रार्थी जान बचाकर भागा इसके बाद प्रमोद सरोज ने फोन करके अपने बडे भाई समीर सरोज पुत्र लल्लन सरोज को बुलाया, प्रार्थी सोचा की उपरोक्त लोग चले गये तो प्रार्थी अपने घर की तरफ आ रहा था कि इतने मे समीर सरोज व प्रमोद सरोज व दिलीप ने प्रार्थी को पकड लिये और मारे-पीटे, प्रार्थी भागने का प्रयास किया को उक्त प्रमोद सरोज ने वाइक की चाभी से प्रार्थी के आँख मे मारा और चाभी आंख मे घुमा दिया प्रार्थी की वाई आंख पुतली निकल गयी है। उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 107/25 धारा 115(2),352,118(1),351(3) BNS बनाम अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 118(2) BNS की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

आज दिनांक 15.07.25 को उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त प्रमोद सरोज पुत्र लल्लन सरोज उम्र 24 वर्ष ग्राम सिसरेडी थाना बरदह जनपद आजमगढ को बेसो नदी पुल सराय मोहन से समय करीब 09.00 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. प्रमोद सरोज पुत्र लल्लन सरोज उम्र 24 वर्ष ग्राम सिसरेडी थाना बरदह जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 94/20 धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना बरदह, आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 107/25 धारा 115(2),352,118(1), 118(2),351(3) BNS थाना बरदह, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. उ0नि0 पुनीत कुमार श्रीवास्तव थाना बरदह, आजमगढ़
2. का0 पंकज यादव थाना बरदह, आजमगढ़
3. का0 सुविन्द्र गुप्ता थाना बरदह, आजमगढ़

02.थाना-जहानागंज:-चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त चोरी के एक अदद नथुनी, एक अदद गले की सीकड़, एक जोड़ी पायल, एक जोड़ी झप्सा, विक्री के 720 रुपये नगद व एक अदद चाकू के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 28.03.2025 को वादिनी बबीता शर्मा पत्नी स्व0 चन्दिका विश्वकर्मा ग्राम बरहतील जगदीशपुर थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी के घर के अन्दर बक्सा व अटैची का ताला तोड़कर जेवर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 115/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 15.07.25 को उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तों 01. *राजेन्द्रं पुत्र धूरीलाल निवासी ग्रा0 गबीहाई थाना अलापुर जनपद बदांयू हाल पता निजामूद्दीनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष* 02. *जयचन्द्रं राजभर पुत्र कवलधारी राजभर निवासी ग्रा0 ताडी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष* को भुजही मोड़ के पास से समय करीब 02.31 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद चाकू बरामद किया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 233/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 218/25 धारा 115(2), 352, 351(3), 109,110, 3(5), 118(1) BNS थाना जहानागंज आजमगढ़
2.मु0अ0सं0 221/25 धारा 115(2), 109(1),351(3), 131, 118(1), 3(5) BNS थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी अभियुक्त व आपराधिक इतिहास-

राजेन्द्रं पुत्र धूरीलाल निवासी ग्रा0 गबीहाई थाना अलापुर जनपद बदांयू हाल पता निजामूद्दीनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

01. मु0अ0सं0 352/2024 धारा 305(a)/317(2)/331(4) थाना जहानागंज आजमगढ़
02. मु0अ0सं0 218/25 धारा 115(2), 352, 351(3), 109,110, 3(5), 118(1) BNS थाना जहानागंज आजमगढ़
03. मु0अ0सं0 221/25 धारा 115(2), 109(1),351(3), 131, 118(1), 3(5) BNS थाना जहानागंज आजमगढ़

जयचन्द्रं राजभर पुत्र कवलधारी राजभर निवासी ग्रा0 ताडी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष

1.मु0अ0सं0 218/25 धारा 115(2), 352, 351(3), 109,110, 3(5), 118(1) BNS थाना जहानागंज आजमगढ़
2.मु0अ0सं0 221/25 धारा 115(2), 109(1),351(3), 131, 118(1), 3(5) BNS थाना जहानागंज आजमगढ़

बरामदगी-

01. एक अदद नथुनी
02. एक अदद गले की सीकड़
03. एक जोड़ी पायल
04. एक जोड़ी झप्सा
05. विक्री के 720 रुपये नगद सम्बन्धित मु0अ0सं0 115/25 धारा 331(4),305 BNS
06. एक अदद चाकू नाजायज सम्बन्धित मु0अ0सं0 233/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 राहुल कुमार, थाना जहानागंज आजमगढ़
02. हे0का0 अमरेश सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़
03. हे0का0 शिवध्यान पाण्डेय, थाना जहानागंज आजमगढ़
04. का0 अखिलेश यादव, थाना जहानागंज आजमगढ़
05. का0 ऋषि कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़

03.थाना-रौनापार:- युवती से दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

वादिनी/पीड़िता द्वारा तहरीर दिया गया कि अभियुक्त राघव रावत पुत्र विनोद रावत निवासी सियरही थाना दोहरीघाट जनपद मऊ द्वारा लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व से वादिनी को अपने प्रेम जाल में फसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जा रहा था, जिससे वादिनी को एक बच्ची भी है एवं खुद की माँ के मृत्यु के बाद वादिनी के पिता द्वारा भी कई बार वादिनी का शोषण व बलात्कार किया गया तथा किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी दी गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 263/25 धारा 64(1), 351(3) बीएनएस व 3/4 पास्को एक्ट बनाम 1. राघव पुत्र विनोद साकिन सिपरही थाना दोहरीघाट जनपद मऊ 2. वादिनी के पिता के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अब तक की विवेचनात्मक कार्यवाही से मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त वादिनी के पिता के विरूद्ध धारा 64(2)/351(3) बीएनएस व 5(ढ़)/6 पाक्सों एक्ट तथा अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ राघव रावत पुत्र विनोद रावत निवासी सियरही थाना दोहरीघाट जनपद मऊ के विरूद्ध धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सों एक्ट का जुर्म होना पाया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 15.07.2025 को थानाध्यक्ष थाना रौनापार अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ राघव रावत पुत्र विनोद रावत निवासी सियरही थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को ग्राम सुरौली बार्डर से समय करीब 11.20 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 263/25 धारा 64(1) बीएनएस व 3/4 पास्को एक्ट थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01. राघवेन्द्र उर्फ राघव रावत पुत्र विनोद रावत निवासी सियरही थाना दोहरीघाट जनपद मऊ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष अनुपम जायसवाल थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 पूनम विश्वकर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
3. का0 सिकन्दर यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
4. का0 आनन्द नरायन थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
5. का0 अमितेश कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
6. का0 विकास कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।